रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092022-238718 CG-DL-E-10092022-238718

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4063] No. 4063] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2022/भाद्र 18, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2022/BHADRA 18, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 9 सितम्बर. 2022

का.आ. 4244(अ).—(अ) केंद्रीय सरकार ने पूर्व में दिनांक 4 मई, 2022 की अधिसूचना फा.सं.यू.11019/07/2022-एचआर के तहत अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र के लिए संघ राज्य क्षेत्र बोर्ड को अधिसूचित किया जो भारत के राजपत्र में दिनांक 4 मई, 2022 के का. आ. संख्या 2074 (अ) के तहत प्रकाशित किया था। अब केंद्रीय सरकार दिनांक 26 अगस्त, 2022 के पत्र संख्या 12-159/सरोगेसी/एआरटी/डीडी एफडब्ल्यू/डीएचएस/2016/पीएफ द्वारा अंडमान और निकोबार प्रशासन के सचिवालय द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार एतद्वारा अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र के लिए संघ राज्य क्षेत्र बोर्ड की संरचना के संबंध में 4 मई, 2022 की उपरोक्त अधिसूचना को आंशिक रूप से संशोधित करती है, जिसमें अब निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

- i. माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अध्यक्ष के रूप में;
- ii. मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार प्रशासन, विशेष आमंत्रित के रूप में;
- iii. आयुक्त-सह-सचिव (स्वास्थ्य), अंडमान और निकोबार प्रशासन, उपाध्यक्ष के रूप में;
- iv. सिचव (स्वास्थ्य), अंडमान और निकोबार प्रशासन, सदस्य के रूप में;

6073 GI/2022 (1)

- v. सिचव (समाज कल्याण), अंडमान और निकोबार प्रशासन, सदस्य के रूप में;
- vi. सचिव (विधि)), अंडमान और निकोबार प्रशासन, सदस्य के रूप में;
- vii. सचिव (गृह), अंडमान और निकोबार प्रशासन, सदस्य के रूप में;
- viii. स्वास्थ्य सेवा निदेशक. अंडमान और निकोबार प्रशासन, सदस्य के रूप में:
- ix. उप निदेशक (एफडब्ल्यू), अंडमान और निकोबार, सदस्य सचिव के रूप में।

[फा. सं. यू.11019/62/2022-एचआर]

गीता नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health Research)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2022

- **S.O.** 4244(E).—Central Government has earlier notified UT Board for UT of Andaman and Nicobar vide Notification F. No. U.11019/07/2022-HR dated 4th May, 2022 published in Gazette of India under SO no. 2074 (E) dated 4th May, 2022. Now Central Government in accordance with the request made by Secretariat of UT of Andaman and Nicobar Administration vide their letter no. 12-159/surrogacy/ART/DD FW/DHS/2016/PF dated 26th August, 2022 hereby partially modifies the aforementioned Notification dated 4th May, 2022 with regard to composition of UT Board for UT of Andaman and Nicobar which shall now consists of the following:
 - i. Hon'ble Lieutenant Governor, A&N Islands, as Chairperson;
 - ii. Chief Secretary, A&N Administration, as Special Invitee;
 - iii. Commissioner-cum-Secretary (Health), A&N Administration, as Vice-Chairperson;
 - iv. Secretary (Health), A&N Administration, as Member;
 - v. Secretary (Social Welfare), A&N Administration, as Member;
 - vi. Secretary (Law), A&N Administration, as Member;
 - vii. Secretary (Home), A&N Administration, as Member;
 - viii. Director of Health Services, A&N Administration, as Member;
 - ix. Deputy Director (FW), A&N, as Member Secretary.

[F. No. U.11019/62/2022-HR] GEETA NARAYAN, Jt. Secy.